

अध्याय III: निगम कर

3.1 परिचय

3.1.1 इस अध्याय में 356 उच्च मूल्य के निगम मामलों (पैरा 2.3 देखें) पर चर्चा की गई है, जिसमें 368 निर्धारण और ₹ 12,476.53 करोड़⁴⁸ का कुल कर प्रभाव शामिल हैं, जिन्हें अगस्त 2020 से दिसंबर 2020 के दौरान मंत्रालय को भेजा गया था। मंत्रालय/आयकर विभाग ने ₹ 2,571.55 करोड़ के कर प्रभाव वाले 152 मामलों को स्वीकार किया, ₹ 0.66 करोड़ के कर प्रभाव वाले एक मामले को आंशिक रूप से स्वीकार किया और ₹ 8,535.16 करोड़ के कर प्रभाव वाले 19 मामलों को स्वीकार नहीं किया। हालांकि, 356 मामलों में से, आयकर विभाग ने ₹ 2,576.41 करोड़ के कर प्रभाव वाले 208 मामलों में उपचारी कार्रवाई पूरी कर ली है और ₹ 619.25 करोड़ के कर प्रभाव वाले 74 मामलों में उपचारी कार्रवाई शुरू की है। आयकर विभाग ने 15 जुलाई 2021 तक शेष 74 मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की है।

3.1.2 त्रुटियों की श्रेणियों को मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

- निर्धारणों की गुणवत्ता
- कर रियायतों/छूट/कटौती का प्रशासन
- चूक के कारण निर्धारण से छूट गयी आय
- अन्य-कर/ब्याज आदि का अधिप्रभार

बाद के पैराग्राफों में उपरोक्त त्रुटियों की प्रत्येक श्रेणी के कुछ सोदाहारण दिए गए हैं।

3.2 निर्धारणों की गुणवत्ता

3.2.1 निर्धारण अधिकारियों (एओ) ने अधिनियम में स्पष्ट प्रावधानों की अनदेखी करते हुए निर्धारण में त्रुटियां कीं। गलत निर्धारण के ये मामले आयकर विभाग की ओर से आंतरिक नियंत्रणों में निरंतर कमजोरियों को इंगित करते हैं जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर संबोधित किए जाने की आवश्यकता है। आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियों से जुड़े गलत निर्धारण के मामलों को कैलकुलेटर और आईटी सिस्टम के दिनों में केवल त्रुटियों के रूप में स्वीकार करना मुश्किल है। इसके अलावा, कर और अधिभार की गलत दरों के लागू करने, धारा 220(2), 234ए, 234बी, 234सी

48 ₹ 112.16 करोड़ का अधिप्रभार शामिल है।

और 234डी के तहत ब्याज लगाने में गलतियां, अधिक या अनियमित प्रतिदाय आदि निर्धारण अधिकारियों के निष्पादन में महत्वपूर्ण कमियों के साथ-साथ आयकर विभाग में आंतरिक नियंत्रणों में कमजोरियों को इंगित करते हैं जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है। आयकर विभाग यह यह सुनिश्चित करे कि क्या ध्यान में आए अनियमितताओं के दृष्टान्त की गई या हुई त्रुटियां हैं जिसमें की गई त्रुटियां वाले मामले में विधि के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। नीचे तालिका 3.1 गलतियों की उप-श्रेणियों के विवरण को दर्शाती है (पैरा 2.3 देखें) जिसने निर्धारण की गुणवत्ता को प्रभावित किया।

तालिका 3.1: निर्धारण की गुणवत्ता के तहत गलतियों की उप-श्रेणियां			
उप-श्रेणियां	मामले	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)	राज्य
क. आय और कर की गणना में अंक-गणितीय त्रुटियां	31	193.29	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।
ख. कर और अधिभार की गलत दर को लागू करना	17	78.55	दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।
ग. ब्याज के उद्ग्रहण में त्रुटियां	75	481.00	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, दिल्ली, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।
घ. अतिरिक्त या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदाय पर ब्याज	6	24.08	कर्नाटक, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल।
ङ. अपीलीय आदेश को प्रभावी बनाते समय निर्धारण में त्रुटियां	5	42.00	दिल्ली, राजस्थान और पश्चिम बंगाल।
कुल	134	818.92	

3.2.2 आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियां

हमने 10 राज्यों में ₹ 193.29 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े 31 मामलों में आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियों को देखा। हमने ऐसे चार निदर्शी मामले नीचे दिए हैं:

अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, निर्धारण अधिकारी को निर्धारिती की कुल आय का सही निर्धारण करना और निर्धारिती द्वारा देय कर की सही राशि का निर्धारण करना होता है।

मामला I सीआईटी प्रभार : पीसीआईटी-एलटीयू, चेन्नई
निर्धारिती का नाम : मेसर्स 'ए' लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2015-16

निर्धारण अधिकारी (एओ) ने दिसंबर 2017 में निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए निर्धारिती द्वारा दावा किए गए ₹ 238.71 करोड़ के अल्पावधि पूंजीगत हानि को अननुमत कर दिया, लेकिन आयकर गणना विवरण में उक्त अननुमत को वापस जोड़ने के लिए छोड़ दिया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 238.71 करोड़ का अवनिर्धारण किया गया जिसमें ₹ 71.61 करोड़ का संभावित कर प्रभाव शामिल है। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की जांच के लिए सहमति जताई (अगस्त 2018)।* हालांकि, की गई कार्रवाई की स्थिति, यदि कोई हो, प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

मामला II सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी 5, मुंबई
निर्धारिती का नाम : मेसर्स 'बी' लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2016-17

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2018 में निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए निवेश के गलत अथ/अन्त शेष को अपनाया और नियम 8डी के साथ पठित धारा 14ए के तहत ₹ 114.31 करोड़ की सही राशि की बजाय ₹ 11.43 करोड़ की अनुमति नहीं दी। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 102.88 करोड़ की हानि का अधिक निर्धारण किया गया, जिसमें ₹ 31.79 करोड़ का संभावित कर प्रभाव शामिल है। आयकर विभाग/मंत्रालय से जवाब लगभग दो साल से प्रतीक्षित था (मई 2021)।

मामला III सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी 5, कोलकाता
निर्धारिती का नाम : मेसर्स 'सी' लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2016-17

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2018 में निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए ₹ 191.44 करोड़ की सही आय के बजाय ₹ 170.30 करोड़ की आय की गणना की। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 21.14 करोड़ की आय का कम निर्धारण किया गया, जिसमें धारा 234बी के तहत ब्याज सहित ₹ 9.73 करोड़ का कर प्रभाव शामिल है। *विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2019) कि अप्रैल 2019 में अधिनियम की धारा 154 के तहत त्रुटि को सुधारा गया था।* हालांकि, ₹ 9.73 करोड़ की मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

मामला IV सीआईटी प्रभार : पीसीआईटी-V, हैदराबाद
निर्धारिती का नाम : मेसर्स 'डी' लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2016-17

दिसंबर 2018 में निर्धारिती का संवीक्षा निर्धारण पूरा हो गया था। निर्धारण अधिकारी ने कर योग्य आय की गणना करते हुए गलत तरीके से परिचालन से होने वाली आय को ₹ 1.81 करोड़ के रूप में अपनाया, जो निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए आईटीआर के अनुसार ₹ 5.08 करोड़ के प्रति थी और कुल आय का अनुमान उसका 10 प्रतिशत लगाया गया। इसके अलावा ब्याज और विविध आय को मिलाकर ₹ 2.19 करोड़ की अन्य आय को भी पूर्ण आय मानने के बजाय उसका 10 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया। त्रुटियों के परिणामस्वरूप आय का अवनिर्धारण ₹ 6.87 करोड़ तक हो गया, जिसमें ₹ 2.27 करोड़ का संभावित कर प्रभाव शामिल है। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ (जनवरी 2020) को स्वीकार किया और सितंबर 2019 में अधिनियम की धारा 154 के तहत गलती सुधारी।*

3.2.3 कर और अधिभार की गलत दरों का लागू करना

हमने पांच राज्यों में ₹ 78.55 करोड़ के कर प्रभाव वाले 17 मामलों में कर और अधिभार की गलत दरों का लागू करना देखा। हमने दो निदर्शी मामले नीचे दिए हैं:

अधिनियम की धारा 113 के अनुसार, धारा 158बीसी के तहत निर्धारित ब्लॉक अवधि की कुल अघोषित आय, 60 प्रतिशत की दर पर कर को प्रभार्य होगी।

मामला I सीआईटी प्रभार : दिल्ली, सीआईटी केन्द्रीय-2
निर्धारिती का नाम : मेसर्स 'ए' लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : ब्लॉक अवधि 01.04.1990 से 14.02.2001

निर्धारण अधिकारी ने जुलाई 2017 में कर देयता की गणना करते हुए 60 प्रतिशत की सही दर पर ₹ 91.63 करोड़ के बजाय 35 प्रतिशत की दर पर ₹ 53.45 करोड़ का कर लगाया था। इसके अलावा निर्धारण अधिकारी ने 13 प्रतिशत की दर पर ₹ 6.95 करोड़ का अधिभार भी लगाया था, हालांकि यह वसूली योग्य नहीं था। इन त्रुटियों के परिणामस्वरूप ₹ 31.23 करोड़ के कर का निवल कम उद्ग्रहण हुआ। लेखापरीक्षा में देखा गया (फरवरी 2021) कि विभाग ने नवंबर 2020 में अधिनियम की धारा 263 के तहत त्रुटियों को सुधारा। हालांकि, ₹ 31.23 करोड़ की मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 4 (1) में प्रावधान है कि संबंधित वित्त अधिनियम के तहत निर्धारित दरों के अनुसार, एक निर्धारिती के पिछले वर्ष की कुल आय के संबंध में प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए आयकर प्रभाय है। निर्धारण वर्ष 2012-13 और 2013-14 से संबंधित वित्त अधिनियम में विदेशी कंपनियों के मामले में 40 प्रतिशत की दर पर आयकर लगाने का प्रावधान है।

मामला II सीआईटी प्रभार : सीआईटी, अंतर्राष्ट्रीय कराधान, नई दिल्ली

निर्धारिती का नाम : 'ए' विदेशी कंपनी

निर्धारण वर्ष : 2012-13 और 2013-14

निर्धारण अधिकारी ने जनवरी 2016 और जनवरी 2017 में कर देयता की गणना करते हुए, 40 प्रतिशत की दर पर उद्ग्रहण कर देयता की बजाय निर्धारण वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए मोटर रेसिंग ड्राइवरों के लिए भुगतान के प्रति ₹ 3.25 करोड़ और ₹ 8.75 करोड़ की प्राप्ति पर क्रमशः 10 प्रतिशत और 20 प्रतिशत की दर से कर लगाया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 4.98 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। विभाग ने सूचित किया (सितंबर 2019) कि गलती को सितंबर 2019 में अधिनियम की धारा 154 के तहत सुधारा गया था। हालांकि, ₹ 4.98 करोड़ की मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

3.2.4 ब्याज के उद्ग्रहण में त्रुटियां

हमने 13 राज्यों में ₹ 481 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े 75 मामलों में ब्याज के उद्ग्रहण में त्रुटियां देखीं। हमने पांच निदर्शी मामले नीचे दिए हैं:

आयकर अधिनियम, 1961 में सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर निर्धारिती की ओर से चूकों के कारण ब्याज के उद्ग्रहण का प्रावधान है। धारा 234ए में एक विनिर्दिष्ट दरों पर और विनिर्दिष्ट समय अवधि हेतु आय की विवरणी प्रस्तुत करने में चूक के संबंध में ब्याज के उद्ग्रहण हेतु प्रावधान किया गया है। धारा 234बी में विनिर्दिष्ट दरों पर और विनिर्दिष्ट समय अवधि हेतु अग्रिम कर के भुगतान में चूक के संबंध में ब्याज के उद्ग्रहण का प्रावधान है। धारा 234सी में विनिर्दिष्ट दरों पर और विनिर्दिष्ट समय अवधि के लिए पर अग्रिम कर की किस्तों के भुगतान में चूक के संबंध में ब्याज के उद्ग्रहण का प्रावधान है। इसके अलावा, निर्धारण आदेश को पूरा करने का कार्य आयकर विभाग (आईटीडी) प्रणालियों में निर्धारण अधिकारी (एओ) द्वारा किया जाता है।

मामला I सीआईटी प्रभार : सीआईटी केन्द्रीय-3, दिल्ली
निर्धारिती का नाम : मेसर्स 'ए' लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2014-15

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2017 में कर देयता की गणना करते हुए कर भुगतान के रूप में ₹ 65.66 करोड़ की कटौती की जबकि टीडीएस के रूप में केवल ₹ 100.94 लाख का भुगतान निर्धारिती द्वारा किया गया था। निर्धारण अधिकारी ने मई 2016 में निर्धारिती को जारी नोटिस का पालन नहीं करने के लिए अधिनियम की धारा 234ए(3) के तहत ₹ 1.30 करोड़ का ब्याज भी नहीं लगाया। इसके अलावा निर्धारण अधिकारी ने ₹ 58.35 करोड़ की सही राशि के बजाय अधिनियम की धारा 234बी के तहत ₹ 29.26 करोड़ का ब्याज उद्ग्रहीत किया। इन त्रुटियों के परिणामस्वरूप ₹ 95.04 करोड़ तक कर का कम उद्ग्रहण हुआ था। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (नवंबर 2019) और अक्टूबर 2019 में अधिनियम की धारा 154 के तहत त्रुटियों को सुधारा।* हालांकि, ₹ 95.04 करोड़ की मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

मामला II सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी-I, कोलकाता
निर्धारिती का नाम : मेसर्स 'बी' प्राइवेट लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2011-12

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2017 में निर्धारिती की कर मांग की संगणना करते हुए धारा 234बी के तहत ₹ 57.07 करोड़ की सही राशि के बजाय ₹ 21.84 करोड़ का ब्याज लगाया था। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 35.23 करोड़ के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ था। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ जारी होने के बाद जून 2019 में अधिनियम की धारा 154/144/147 के तहत त्रुटि को सुधारा।* हालांकि, ₹ 35.23 करोड़ की मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

मामला III सीआईटी प्रभार : पीसीआईटी-1, भुवनेश्वर
निर्धारिती का नाम : मेसर्स 'सी' लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2011-12

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2018 में निर्धारिती की कर देयता की संगणना करते हुए ₹ 2.36 करोड़ की सही राशि के बजाय अधिनियम की धारा 234ए के तहत ₹ 15.53 लाख का ब्याज लगाया था। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 2.20 करोड़ के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ था। इसके अलावा निर्धारण

अधिकारी ने ₹ 26.34 करोड़ की सही राशि के बजाय धारा 234बी के तहत ₹ 3.83 करोड़ का ब्याज भी लगाया, जिसके परिणामस्वरूप धारा 234बी के तहत ₹ 22.51 करोड़ के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ। इस प्रकार, ब्याज का कुल कम उद्ग्रहण ₹ 24.71 करोड़ था। लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि मामलों को मैनुअल रूप से प्रसंस्करित किया गया था न कि एएसटी के माध्यम से। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ स्वीकार की (जनवरी 2020) और अधिनियम की धारा 154 के तहत त्रुटि को सुधारा।* हालांकि, ₹ 24.71 करोड़ की मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

मामला IV सीआईटी प्रभार : सीआईटी (आईएनटीएल टैक्सेशन), बेंगलोर
निर्धारिती का नाम : मेसर्स 'डी' लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2008-09

निर्धारण अधिकारी ने जनवरी 2018 में निर्धारिती की कर देयता की गणना करते हुए ₹ 23.91 करोड़ की सही राशि की बजाय ₹ 9.77 करोड़ के ब्याज की गणना धारा 234बी के तहत की। निर्धारण अधिकारी ने टीडीएस क्रेडिट को अग्रिम कर के रूप में माना जिसे नहीं गिना जाना चाहिए था क्योंकि केवल टीडीएस वास्तव में जनवरी 2014 में कटौतीकर्ता द्वारा जमा किया गया था। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 14.14 करोड़ का ब्याज कम उद्ग्रहीत हुआ था। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ (मई 2020) को स्वीकार किया और मार्च 2020 में अधिनियम की धारा 154 के तहत त्रुटि को सुधारा।* हालांकि, ₹ 14.14 करोड़ की मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

मामला V सीआईटी प्रभार : सीआईटी केन्द्रीय-3, दिल्ली
निर्धारिती का नाम : मेसर्स 'एन' लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2011-12

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2017 में निर्धारिती की कर देयता की संगणना करते हुए 81 महीनों के लिए ₹ 269.06 करोड़ के ब्याज की सही राशि के बजाय 47 महीने के लिए ₹ 156.12 करोड़ का ब्याज लगाया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 112.94 करोड़ के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ था। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की सूचना मार्च/अप्रैल 2019 में विभाग को दी गई थी। *विभाग ने सूचित किया (जुलाई 2019) कि अधिनियम की धारा 154 के तहत गलती सुधारी गई।*

3.2.5 अधिक या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदाय पर ब्याज

हमने तीन राज्यों में ₹ 24.08 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े अधिक या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदाय पर ब्याज से संबंधित छह मामलों को देखा। हमने एक निदर्शी मामला नीचे दिया है:

अधिनियम की धारा 234 डी में उन मामलों में ब्याज का उद्ग्रहण निर्धारित किया गया है जहां संक्षिप्त निर्धारण के दौरान जारी किए गए प्रतिदाय की राशि इस प्रकार प्रतिदाय की गयी अधिक राशि पर आधा प्रतिशत की दर से नियमित निर्धारण पर प्रतिदाय योग्य राशि से अधिक है। धारा 244ए में आयकर विभाग द्वारा निर्धारिती को ब्याज का भुगतान उन मामलों में जारी किए जाने वाले प्रतिदाय पर आधा प्रतिशत की दर से निर्धारित किया गया है जहां निर्धारिती द्वारा अधिक कर का भुगतान किया गया था।

मामला । सीआईटी प्रभार : पीसीआईटी 1, मुंबई
निर्धारिती का नाम : मेसर्स 'ए' लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2013-14

निर्धारण अधिकारी ने अक्टूबर 2017 में ₹ 103.3 करोड़ की आय पर निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती 23.10.2017 को ₹ 29.36 करोड़ के प्रतिदाय के लिए पात्र था। हालांकि संक्षिप्त निर्धारण के आधार पर 19.02.2015 को निर्धारिती को ₹ 108.55 करोड़ का प्रतिदाय जारी किया गया था। निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए प्रतिदाय प्रदान करने की तारीख (19.02.2015) तक की अवधि के लिए ₹ 3.37 करोड़ की सही राशि के बजाय धारा 244ए के तहत ₹ 8.07 करोड़ का ब्याज निर्धारण की तारीख (23.10.2017) तक प्रदान किया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप धारा 244ए के तहत ब्याज अधिक प्रदान किया गया था। इसके अलावा, उद्ग्रहण न किए गए अधिक प्रतिदाय के लिए धारा 234डी के तहत ब्याज का उद्ग्रहण किया जाना था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.74 करोड़ के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ था। दोनों त्रुटियों पर ₹ 5.44 करोड़ का कर प्रभाव पड़ा है। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (फरवरी 2021) को स्वीकार किया और जुलाई 2019 में अधिनियम की धारा 154 के तहत त्रुटि सुधारी। हालांकि, ₹ 5.44 करोड़ की मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

3.2.6 अपीलीय आदेशों को प्रभावी बनाते समय निर्धारण में त्रुटियां

हमने तीन राज्यों में ₹ 42 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े पांच मामलों में अपीलीय आदेशों को प्रभावी बनाते समय निर्धारण में त्रुटियां देखीं। हमने एक निदर्शी मामला नीचे दिया है:

अधिनियम की धारा 115-ओ के अनुसार, किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए घरेलू कंपनी की कुल आय के संबंध में प्रभार्य आयकर के अतिरिक्त, पहली अप्रैल, 2003 को या उसके बाद लाभांश के माध्यम से चाहे चालू या संचित लाभों में से हो, ऐसी कंपनी द्वारा घोषित, वितरित या भुगतान की गई किसी भी राशि को अतिरिक्त आयकर को प्रभारित किया जाएगा। इसके अलावा धारा 143(3) के अनुसार, निर्धारण अधिकारी को निर्धारिती की कुल आय या हानि का सही निर्धारण करना होता है और कर या प्रतिदाय जैसा भी मामला हो, की सही राशि का निर्धारण करना होता है।

मामला । सीआईटी प्रभार : पीसीआईटी-2, कोलकाता
निर्धारिती का नाम : मेसर्स 'ए' लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2015-16

निर्धारण अधिकारी ने अप्रैल 2018 में अपील को प्रभावी बनाते समय निर्धारिती द्वारा पहले से भुगतान किए गए ₹ 38.69 करोड़ के लाभांश वितरण कर (डीडीटी) का संज्ञान लिए बिना ₹ 131.25 करोड़ का प्रतिदाय उत्पन्न किया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 38.69 करोड़ के प्रतिदाय का कम निर्धारण किया गया था। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (मार्च 2019)।* हालांकि, उपचारी कार्रवाई पूरी होने की स्थिति अभी तक प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

3.3 कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन

3.3.1 अधिनियम में अध्याय VI-ए के तहत कुल आय की गणना करने व्यय की कुछ श्रेणियों के लिए निर्धारिती को रियायतों/छूट/कटौती अनुमत की गयी है। हमने देखा कि निर्धारण अधिकारी ने उन लाभार्थियों को कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के लाभों को अनियमित रूप से प्रदान किया था जो इसके हकदार नहीं थे। ये अनियमितताएं आयकर विभाग की ओर से कर रियायतों/कटौतियों/छूटों के प्रशासन में कमजोरियों को इंगित करती हैं, जिन्हें सम्बोधित किए जाने की आवश्यकता है। नीचे तालिका 3.2 में उप-श्रेणियों का ब्यौरा दर्शाया गया है जिसने कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के प्रशासन को प्रभावित किया है।

तालिका 3.2: कर रियायतों/कटौतियों/छूटों के प्रशासन के तहत गलतियों की उप-श्रेणियां			
उप-श्रेणियां	सं	टीई (₹ करोड़ में)	राज्य
क. मूल्यहास/कारोबार हानि/पूँजीगत हानि को अनुमत करने में अनियमितताएं	87	1,017.28	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

ख. अनियमित छूट/कटौती/रिबेट/राहत/मैट क्रेडिट	30	1,733.64	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, दिल्ली, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल।
ग. कारोबार व्यय की गलत अनुमति	40	187.75	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।
कुल	157	2,938.67	

3.3.2 कारोबार/पूँजीगत हानि के मूल्यहास और समंजन और अग्रणीत करने की अनुमति देने में अनियमितताएं

हमने 14 राज्यों में ₹ 1,017.28 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े 87 मामलों में कारोबार/पूँजीगत हानियों के मूल्यहास और समंजन और अग्रणीत करने में अनियमितताओं को देखा। हमने ऐसे चार निदर्शी मामले नीचे दिए हैं:

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 72 में यह प्रावधान है कि, जहां शीर्ष 'कारोबार या पेशे का लाभ और अभिलाभ' के अन्तर्गत संगणना का निवल परिणाम निर्धारिती को हानि है और मूल्यहास सहित इस तरह की हानि को प्रासंगिक वर्ष के किसी भी शीर्ष के तहत आय के प्रति पूरी तरह से समंजित नहीं किया जा सकता है, इतनी हानि जिसे समंजित नहीं किया गया है, उसे अगले निर्धारण वर्ष/वर्षों को अग्रणीत किया जाएगा ताकि कारोबार या पेशे के लाभ और अभिलाभ के प्रति समंजन किया जा सके।

सीबीडीटी के 11 सितंबर 2007 के अनुदेश संख्या 09/2007 के अनुसार, निर्धारण अधिकारी को प्रत्यक्ष अभिलेखों के संदर्भ में संवीक्षा निर्धारण करने के समय आवश्यक सत्यापन करना चाहिए और अनवशोषित मूल्यहास सहित हानि से संबंधित दावों को निर्धारण अभिलेखों से संबंध किया जाना चाहिए ताकि अग्रणीत हानि और मूल्यहास के दावों की अनुमति की सटीकता सुनिश्चित की जा सके। पूर्ववर्ती वर्षों के लिए भी उपचारी कार्रवाई, जहां कहीं आवश्यक हो, शुरू की जानी चाहिए।

मामला । सीआईटी प्रभार : सीआईटी एलटीयू बेंगलोर
निर्धारिती का नाम : मेसर्स 'ए' प्राइवेट लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2015-16

निर्धारण अधिकारी ने जनवरी 2019 में संवीक्षा निर्धारण पूरा करते हुए निर्धारण वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक ₹ 468.85 करोड़ के अग्रणीत अनवशोषित मूल्यहास का समंजन अनुमत किया, जैसा कि निर्धारिती द्वारा दावा किया गया था। पूर्व वर्षों के निर्धारण अभिलेखों के अनुसार, केवल निर्धारण वर्ष 2013-14 से संबंधित ₹ 96.50 करोड़ की हानि निर्धारण वर्ष 2015-16 के दौरान समंजन के लिए उपलब्ध थी क्योंकि निर्धारण वर्ष 2012-13 और 2014-15 के निर्धारण सकारात्मक आय पर पूरे किए गए थे।

इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 372.36 करोड़ की आय की कम संगणना हुई थी जिसमें ब्याज सहित ₹ 186.91 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण शामिल था। विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (अप्रैल 2019) को स्वीकार किया और अप्रैल 2019 में अधिनियम की धारा 154 के तहत त्रुटि को सुधारा। हालांकि, ₹ 186.91 करोड़ की मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

अधिनियम की धारा 72ए में प्रावधान है कि बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 के खंड (सी) में संदर्भित औद्योगिक उपक्रम के स्वामित्व वाली एक कम्पनी या एक बैंकिंग कम्पनी के एक विशिष्ट बैंक के साथ समामेलन के मामले में, समामेलक कम्पनी की संचित हानि और अनवशोषित मूल्यहास को पूर्ववर्ष, जिसमें समामेलन प्रभावी हुआ, के लिए समामेलित कम्पनी की हानि, या जैसा भी मामला हो, इसके अनवशोषित मूल्यहास के लिए अनुमत करना माना जाएगा। हानि के समंजन करने और अग्रणीत करने और मूल्यहास के लिए अनुमत करने से संबंधित इस अधिनियम के अन्य प्रावधान तदनुसार लागू होंगे। इसके अलावा धारा 72ए की उप-धारा 7 (एए) के अनुसार, औद्योगिक उपक्रम का अर्थ है कोई भी उपक्रम जो (i) माल का विनिर्माण या प्रसंस्करण; या (ii) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का विनिर्माण; या (iii) बिजली के उत्पादन या वितरण या किसी अन्य प्रकार की बिजली का कारोबार; या (iii)ए दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने का कारोबार, चाहे वह बुनियादी या सेलुलर हो, जिसमें रेडियो पेजिंग, धरेलू उपग्रह सेवा, ट्रंकिंग का नेटवर्क, ब्रॉडबैंड नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं शामिल हैं; या (iv) खनन; या (v) जहाजों, विमानों या रेल प्रणालियों का निर्माण कार्य में लगा हुआ है।

मामला II सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी 1, मुंबई
निर्धारिती का नाम : मेसर्स 'बी' लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2015-16

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2018 में निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए ₹ 266.05 करोड़ की अग्रणीत हानि के समंजन को अनुमत किया। उपरोक्त अग्रणीत हानि में ₹ 212.01 करोड़ की कारोबार हानियां और ₹ 50.90 करोड़ का अनवशोषित मूल्यहास शामिल थे जो संबंधित अवधि के दौरान निर्धारिती के साथ समामेलित कंपनी से संबंधित थे। इसके अलावा, ₹ 3.13 करोड़ के शेष हानि के समंजन के संबंध में कुछ भी अभिलेख में नहीं था। निर्धारिती मुद्रण और प्रकाशन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अवकाश उत्पादों के व्यापार, प्रसारण, निवेश और वित्तपोषण की गारंटी के कारोबार में लगा था, जबकि समामेलक कंपनी एक प्रसारण और टेलीविजन कंपनी थी। इस प्रकार, निर्धारिती धारा 72ए के तहत निर्धारित औद्योगिक उपक्रम की शर्त को पूरा नहीं कर रहा था, और यह बैंकिंग कंपनी भी नहीं थी। इसलिए, निर्धारिती के साथ समामेलन के अनुसार समामेलक कंपनी की ₹ 266.05 करोड़ की अग्रणीत हानियों के समंजन से उक्त प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है।

इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 131.12 करोड़ के कर के कम उद्ग्रहण के साथ ₹ 266.05 करोड़ तक आय का अवनिर्धारण हुआ। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की सूचना नवंबर/दिसंबर 2019 में विभाग को दी गई थी। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2021)।

अधिनियम की धारा 72 में प्रावधान है कि यदि मूल्यहास सहित चालू वर्ष की हानि को प्रासंगिक वर्ष के किसी शीर्ष के अन्तर्गत आय के प्रति पूरी तरह से समंजित नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी हानि को 'कारोबार या पेशे के लाभ और अभिलाभ' के प्रति समंजन के लिए आगामी निर्धारण वर्षों को अग्रणीत किया जाएगा। इसके अलावा धारा 80 में प्रावधान है कि यदि आय की रिटर्न को निर्धारित समय के भीतर दाखिल नहीं किया जाता है तो किसी भी हानि को अग्रणीत करने या समंजन करने के लिए अनुमत नहीं किया जाएगा।

मामला III सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी 1, पटना
निर्धारिती का नाम : मेसर्स 'सी' लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2015-16

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2017 में निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए बाद के वर्षों में समंजन करने के लिए ₹ 385.39 करोड़ की हानि को अग्रणीत करने की अनुमति दी जिसमें निर्धारण वर्ष 2007-08, 2011-12 और 2014-15 से संबंधित ₹ 372.09 करोड़ की कारोबार हानि शामिल थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती ने रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख के बाद उपरोक्त निर्धारण वर्ष के लिए आयकर रिटर्न को दाखिल किया था। इसलिए, ₹ 372.09 करोड़ की कारोबार हानि अग्रणीत करने के लिए अनुमय नहीं थी। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 126.47 करोड़ का संभावित कर प्रभाव पड़ा था। विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (मई 2020) स्वीकार की और जनवरी 2021 में अधिनियम की धारा 263 के तहत त्रुटि को सुधारा।

मामला IV सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी 8, मुंबई
निर्धारिती का नाम : मेसर्स 'डी' लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2014-15 और 2015-16

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2016 और दिसंबर 2017 में निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए निर्धारण वर्ष 2014-15 और 2015-16 में क्रमशः ₹ 453.28 करोड़ और ₹ 34.98 करोड़ की हानि का समंजन अनुमत किया। हालांकि, केवल पहले के निर्धारण वर्षों से संबंधित ₹ 220.35 करोड़ की अग्रणीत हानियां समंजन के लिए उपलब्ध थीं। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 267.91 करोड़ (₹ 232.93 करोड़ + ₹ 34.98 करोड़) की हानि का अधिक समंजन हुआ, जिसमें ₹ 91.07 करोड़ (₹ 79.18 करोड़ + ₹ 11.89 करोड़)

का कर प्रभाव शामिल था। विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (मार्च 2020) और अधिनियम की धारा 154 के तहत गलती सुधारी।

3.3.3 अनियमित छूट/कटौती/रिबेट/राहत/मैट क्रेडिट

हमने आठ राज्यों में ₹ 1,733.64 करोड़ के कर प्रभाव वाले अनियमित छूटों/कटौतियों/रिबेट/राहत/मैट क्रेडिट से संबंधित 30 मामलों को देखा। हमने ऐसे पांच निदर्शी मामले नीचे दिए हैं:

अधिनियम की धारा 32एसी (1) में पहली अप्रैल 2015 को प्रारम्भ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए 31 मार्च, 2013 के बाद परन्तु पहली अप्रैल 2015 से पहले अधिग्रहीत और स्थापित की गई नई परिसंपत्तियों की वास्तविक लागत की 15 प्रतिशत की कटौती करने का प्रावधान है, जो अधिनियम में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के अध्यक्षीन अनुमत की गयी कटौती की राशि, यदि कोई हो, तक कम की जाएगी।

मामला I सीआईटी प्रभार : पीसीआईटी-II, हैदराबाद
निर्धारिती का नाम : मेसर्स 'ए' लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2015-16

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2017 में निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए निवेश को अनुमत करने के प्रति ₹ 767.02 करोड़ की कटौती की अनुमति दी थी। निर्धारिती बिजली उत्पादन के कारोबार में लगा हुआ था और विद्युत उत्पादन अधिनियम में कटौती के लिए निर्दिष्ट नहीं है। इस प्रकार निर्धारिती उक्त कटौती के लिए पात्र नहीं था। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 767.02 करोड़ तक हानि का अधिक निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 260.71 करोड़ का संभावित कर प्रभाव था। विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (जुलाई 2019) को स्वीकार किया और मई 2019 में अधिनियम की धारा 263 के तहत त्रुटि को सुधारा।

अधिनियम की धारा 115जेएए विशेष प्रावधानों के तहत कर के सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत देय कर से अधिक होने पर एक निर्धारिती को मैट क्रेडिट को अग्रणीत करने की अनुमति देती है। हालांकि, इस तरह के क्रेडिट अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत कर और अधिनियम के विशेष प्रावधानों के तहत कर के अंतर तक ही सीमित होंगे।

मामला II सीआईटी प्रभार : पीसीआईटी 6, चेन्नई
निर्धारिती का नाम : मेसर्स 'बी' प्राइवेट लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2015-16

निर्धारण अधिकारी ने मार्च 2019 में निर्धारण में सुधार करते हुए ₹ 323.66 करोड़ की अग्रणीत हानियों के समंजन की अनुमति दी और धारा 115जेबी के तहत खाता लाभ पर कर लगाया। हालांकि, केवल निर्धारण वर्ष

2012-13 और 2013-14 से संबंधित ₹ 239.74 करोड़ की अग्रेनीत हानि समंजन के लिए उपलब्ध थी। इस प्रकार, ₹ 83.92 करोड़ की हानि के अधिक समंजन के परिणामस्वरूप ₹ 28.52 करोड़ के मैट क्रेडिट के अग्रेनीत करने की गलत अनुमति मिली, जिसमें ₹ 28.52 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। अक्टूबर 2019 में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की सूचना विभाग को दी गई थी। आयकर विभाग/मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2021)।

मामला III सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी -2, जयपुर
निर्धारिती का नाम : मेसर्स 'सी' लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2011-12

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2017 में निर्धारिती की कर देयता की संगणना करते हुए निर्धारण वर्ष 2010-11 से संबंधित ₹ 101.59 लाख के मैट क्रेडिट की अनुमति दी थी। हालांकि, निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 2010-11 में सामान्य प्रावधान के तहत अंततः आयकर का भुगतान किया। इसलिए, अग्रेनीत करने के लिए कोई मैट क्रेडिट उपलब्ध नहीं था। त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 1.84 करोड़ के मैट क्रेडिट की गलत अनुमति दी गयी। विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (जून 2019) को स्वीकार किया और मई 2019 में अधिनियम की धारा 154 के तहत त्रुटि को सुधारा। हालांकि, ₹ 1.84 करोड़ की मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

मामला IV सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी -4, कोलकता
निर्धारिती का नाम : मेसर्स 'ए' लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2011-12

निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए एक कम्पनी का निर्धारण अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत ₹ 603.17 करोड़ की आय और अधिनियम के विशेष प्रावधानों के तहत ₹ 435.91 करोड़ पर खाता लाभ निर्धारित करते हुए जनवरी 2016 में संवीक्षा के बाद पूरा किया गया। बाद में समंजन के लिए निर्धारिती को उपलब्ध मैट क्रेडिट को सही करने के लिए सितंबर 2017 में निर्धारण में सुधार किया गया। तात्कालिक मामले में चूंकि सामान्य प्रावधानों के तहत लाभ पर कर से अधिक कर था, इसलिए अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत कर लगाया गया था। हालांकि, निर्धारण अभिलेखों के अनुसार, निर्धारिती को अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत आय का निर्धारण करने के बावजूद निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए मैट क्रेडिट की अनुमति दी गई थी। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप मैट क्रेडिट को अनियमित अग्रेनीत किया गया था जिसमें ₹ 26.77 करोड़ का संभावित कर प्रभाव

शामिल था। विभाग ने सूचित किया (जुलाई 2018) कि जुलाई 2018 में धारा 154 के तहत गलती सुधारी गई थी।

मामला V सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी - एलटीयू 2, मुम्बई
निर्धारिती का नाम : मेसर्स 'आर' लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2014-15

निर्धारण अधिकारी ने फरवरी 2018 में निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए ₹ 24.48 करोड़ की सीमा तक समायोजन करने के बाद दावे का पांचवां वर्ष होने के नाते धारा 10ए के तहत ₹ 7430.20 करोड़ (100 प्रतिशत) की कटौती की अनुमति दी थी। निर्धारण अभिलेखों की संवीक्षा से लेखापरीक्षा में पाया गया कि रिफाइनरी ने निर्धारण वर्ष 2009-10 से सुसंगत वित्तीय वर्ष 2008-09 में परिचालन (क्रूड प्रोसेसिंग) शुरू किया था और इसकी पुष्टि और प्रमाणन विकास आयुक्त, एसईजेड द्वारा 08-05-2009 को की गई थी। इसलिए, निर्धारण वर्ष 2014-15 प्रचालन का छठा वर्ष था और इसलिए, निर्धारिती निर्धारण वर्ष 2014-15 में लाभ के 50 प्रतिशत की दर से कटौती के लिए पात्र था। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 3715.10 करोड़ तक आय का अवनिर्धारण हुआ था जिसमें ₹ 1262.76 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। डीसीआईटी (एलटीयू)-2, मुम्बई ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं करते हुए (जून 2019) बताया कि:

(क) निर्धारण वर्ष 2009-10 के दौरान, निर्धारिती ने नई रिफाइनरी इकाई की स्थापना के लिए परिचालनपूर्व खर्चों के प्रति कटौती का दावा किया था। इसके अलावा, परियोजना विकास व्यय को सीडब्ल्यूआईपी में शामिल किया गया था और परीक्षण के अनुसरण में रिफाइनरी एसईजेड से संबंधित सीडब्ल्यूआईपी के कुछ हिस्से को पूँजीकृत किया था।

(ख) प्रपत्र 56एफ के अनुसार प्रारंभ करने की तिथि 01 अप्रैल 2009 प्रमाणित की गई थी।

(ग) रिफाइनरी में जटिल ढांचा होता है जिसमें सल्फर आदि को हटाने के लिए कच्चे आसवन, हाइड्रोट्रीटर जैसी इकाइयां शामिल होती हैं। रिफाइनरी का निरंतर परिचालन केवल तभी संभव है जब सभी इकाइयां अपने डिजाइन निष्पादन के स्तर के अनुसार सिद्ध हो और कार्य कर रही हों और मध्यवर्ती वस्तुओं का मात्र उत्पादन माल का विनिर्माण और उत्पादन नहीं होता है या स्थापित क्षमता से बहुत कम पर कार्य करना विनिर्माण नहीं माना जा सकता।

विभाग का तर्क निम्नलिखित आधारों पर स्वीकार्य नहीं है:

(i) किसी भी नए स्थापित उद्योग के लिए परिचालन के पहले वर्ष में अधिकांश व्यय को पूंजीकरण आवश्यक है। व्यय के पूंजीकरण का धारा 10ए के तहत कटौती के दावे से कोई संबंध नहीं है। एक बार जब निर्धारिती अधिनियम की धारा 10ए के प्रावधानों के तहत निर्धारित सभी शर्तों को पूरा कर लेता है, तो वह कटौती के लिए पात्र होता है।

(ii) निर्धारिती ने विकास आयुक्त, एसईजेड को सूचित किया (जनवरी 2009) कि उसने 25 दिसंबर, 2008 से परिचालन (क्रूड प्रोसेसिंग) शुरू किया था और इसकी पुष्टि और प्रमाणन भी विकास आयुक्त, एसईजेड द्वारा किया गया था। इसलिए, वित्तीय वर्ष 2008-09 को धारा 10ए के तहत कटौती के लिए दावे का पहला वर्ष माना जाना है। यह अर्थहीन है कि अन्य सभी इकाइयां चालू थीं या नहीं। यदि निर्धारिती का यह विचार था कि दिसंबर 2008 में रिफाइनरी का केवल परीक्षण कार्य शुरू किया गया था और रिफाइनरी को पूरी तरह से परिचालित करने के लिए सभी इकाइयों का स्थिरीकरण करना आवश्यक था, तो उन्हें दिसंबर 2008 में विकास आयुक्त एसईजेड को रिफाइनरी को चालू घोषित नहीं करना चाहिए था।

(iii) धारा 10ए परीक्षण और वाणिज्यिक उत्पादन में अंतर नहीं करती है। धारा में बताया गया है कि एक उस इकाई के संबंध में कटौती अनुमत की जाएगी जो किसी निर्धारण वर्ष से सुसंगत पिछले वर्ष के दौरान वस्तुओं या चीजों का विनिर्माण या उत्पादन शुरू करती है।

(iv) विभाग ने दो अलग तारीखों का कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया - पहला एसईजेड अधिनियम, 2006 के तहत उत्पादन प्रारम्भ करने के लिए और दूसरा आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कटौती का दावा करने के लिए।

(v) निर्धारिती द्वारा विकास आयुक्त, एसईजेड को प्रस्तुत किए गए प्रथम तीन वर्षों (वित्तीय वर्ष 2008-09 से वित्तीय वर्ष 2010-11) की वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट (एपीआर) पर आधारित तुलनात्मक प्रवृत्ति विश्लेषण में परीक्षण उत्पादन के बजाय नियमित उत्पादन को दर्शाते हुए उत्पादन में निरंतर वृद्धि दर्शायी गयी है, जो इस बात का सूचक है कि रिफाइनरी दिसंबर 2008 में चालू थी। इसके अलावा, एपीआर के अनुसार, निर्धारिती ने तीन महीनों (जनवरी से मार्च 2009) के दौरान 18 देशों को परिष्कृत उत्पादों का निर्यात किया।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, परिचालन का छठा वर्ष होने के नाते निर्धारण वर्ष 2014-15 में 100 प्रतिशत की दर पर धारा 10ए के तहत कटौती की अनुमति निर्धारिती को अनुमेय नहीं थी और इसलिए इसे अस्वीकार किया जाना चाहिए था।

मंत्रालय का प्रतिउत्तर प्रतीक्षित था (मई 2021)।

3.3.4 कारोबार व्यय की गलत अनुमति

हमने 12 राज्यों में ₹ 187.75 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े कारोबार व्यय की गलत अनुमति से संबंधित 40 मामलों को देखा। हमने नीचे तीन निदर्शी मामले दिए हैं:

अधिनियम की धारा 145 में यह प्रावधान है कि शीर्ष "कारोबार या पेशे के लाभ और अभिलाभ" या "अन्य स्रोतों से आय" के तहत प्रभार्य आय की संगणना उपधारा (2) के प्रावधानों के अधीन निर्धारिती द्वारा नियमित रूप से नियोजित लेखांकन की नकदी या व्यापारिक प्रणाली के अनुसार की जाएगी। केवल उपचित या ज्ञात देयता के लिए लेखाओं में किया गया प्रावधान एक स्वीकार्य कटौती है।

मामला I सीआईटी प्रभार : पीसीआईटी-2, दिल्ली
निर्धारिती का नाम : मेसर्स 'ए' प्राइवेट लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2015-16

निर्धारण अधिकारी ने नवंबर 2017 में निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए "बिक्री कर मांग" और "संदिग्ध ऋण" के लिए क्रमशः ₹ 15 करोड़ और ₹ 84.31 करोड़ के प्रावधानों की अनुमति दी थी। चूंकि उपरोक्त व्यय अनिश्चित देयताओं का था, इसलिए यह स्वीकार्य नहीं था। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 99.31 करोड़ की हानि का अधिक अग्रनयन हुआ था जिसमें ₹ 33.76 करोड़ का संभावित कर प्रभाव शामिल था। विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति जारी होने के बाद मार्च 2019 में अधिनियम की धारा 154 के तहत त्रुटि को सुधारा।

धारा 43 बी के तहत स्पष्टीकरण 3डी के अनुसार किसी भी राशि की कटौती की, इस धारा के खंड (ई) के तहत देय ब्याज होने के नाते अनुमति दी जाएगी यदि इस तरह के ब्याज का वास्तव में भुगतान किया गया है और उस खंड में संदर्भित कोई ब्याज, जिसे ऋण या अग्रिम में परिवर्तित कर दिया गया है, को वास्तव में भुगतान किया गया नहीं माना जाएगा।

मामला II सीआईटी प्रभार : पीसीआईटी-V, हैदराबाद
निर्धारिती का नाम : मेसर्स 'बी' लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2015-16

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2016 में निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए "वित्त लागत" से संबंधित ₹ 96.70 करोड़ के खर्च की अनुमति दी थी। इसमें से ₹ 89.13 करोड़ को पूंजीकृत किया गया और अनुमोदित ऋण स्थगन अनुसूची के अनुसार देय होने के नाते अन्य वर्तमान देयताओं के तहत वर्गीकृत किया गया। इसलिए यह अनुमेय खर्च नहीं था। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 89.13 करोड़ की हानि का अधिक निर्धारण हुआ था जिसमें ₹ 30.30 करोड़ का संभावित कर प्रभाव शामिल था। *विभाग ने उत्तर दिया (जून 2020) कि दिसंबर 2019 में अधिनियम की धारा 147 के साथ पठित धारा 144 के तहत निर्धारण का पुनः निर्धारण करके गलती सुधारी गई थी।*

अधिनियम की धारा 145 की उप धारा (1) के अनुसार, शीर्ष 'कारोबार या पेशे के लाभ और अभिलाभ' या 'अन्य स्रोतों से आय' के तहत प्रभार्य आय की संगणना निर्धारिती द्वारा नियमित रूप से नियोजित लेखांकन की नकदी या व्यापारिक प्रणाली के अनुसार की जाएगी। न्यायिक रूप से यह माना गया है⁴⁹ कि व्यापारिक लेखांकन प्रणाली के तहत पिछले वर्ष के समायोजन को चालू वर्ष में नहीं किया जा सका। इसके अलावा, धारा 37 के अनुसार, किसी भी व्यय को (धारा 30 से 36 में वर्णित स्वरूप का व्यय न होने के नाते और पूंजीगत व्यय या निर्धारिती के व्यक्तिगत व्यय के स्वरूप का न होने के नाते), कारोबार या पेशे के प्रयोजनों के लिए पूरी तरह से और विशेष रूप से निर्धारित या व्ययित "कारोबार या पेशे के लाभ और अभिलाभ" के तहत प्रभार्य आय की संगणना करने में अनुमत किया जाएगा।

मामला III सीआईटी प्रभार : पीसीआईटी-III, हैदराबाद
निर्धारिती का नाम : मेसर्स 'डी' लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2014-15

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2016 में निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए दीर्घकालिक ऋण, वेतन और प्रोत्साहन और अन्य खर्चों पर ब्याज के प्रति ₹ 55.38 करोड़ के खर्च की अनुमति दी थी। चूंकि व्यय को पूर्व अवधि के खर्चों के तहत लाभ और हानि लेखा में डेबिट किया गया था, इसलिए वह अस्वीकार थे। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 55.38 करोड़ की हानि का अधिक निर्धारण हुआ था, जिसमें संभावित कर प्रभाव ₹ 18.82 करोड़ था। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (जुलाई 2019) को स्वीकार किया और मई 2019 में अधिनियम की धारा 154 के तहत त्रुटि को सुधारा।*

3.4 त्रुटियों के कारण निर्धारण से छूटी हुई आय

3.4.1 अधिनियम में प्रावधान है कि किसी भी पिछले वर्ष के लिए किसी व्यक्ति की कुल आय में वह सभी आय शामिल होगी जो किसी भी स्रोत से उपार्जित हो, वास्तव में प्राप्त हुई हो या उपचित हुई हो या प्राप्त या उपचित

49 सीआईटी बनाम मेसर्स सदरन केबल्स एंड इंजीनियरिंग वर्क्स (289 आईटीआर 167) (केरल उच्च न्यायालय)

होने वाली मानी गयी हो। हमने पाया कि निर्धारण अधिकारी ने उस कुल आय का या तो निर्धारण नहीं किया या कम निर्धारण किया जिस आय पर कर लगाया जाना अपेक्षित था। नीचे तालिका 3.3 में उप-श्रेणियों को दर्शाया गया है जिनके परिणामस्वरूप त्रुटियों के कारण निर्धारण से आय छूट गई।

तालिका 3.3: त्रुटियों के कारण निर्धारण से छूट गई आय के तहत गलतियों की उप-श्रेणियां			
उप-श्रेणियां	सं.	टीई (₹ करोड़ में)	राज्य
क. विशेष प्रावधानों के तहत निर्धारण नहीं की गई/कम निर्धारण की गई आय	8	234.18	दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु
ख. सामान्य प्रावधानों के तहत निर्धारण नहीं की गई/कम निर्धारण की गई आय	17	1,069.86	दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब और पश्चिम बंगाल
ग. पूंजीगत अभिलाभ का गलत वर्गीकरण और संगणना	5	7,007.42	कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु
घ. आर्मस लेंथ प्राइस का गलत अनुमान लगाना	9	37.01	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना और दिल्ली
ङ. टीडीएस/टीसीएस के प्रावधानों को लागू करने में त्रुटियां	6	13.70	हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा और यूटी चंडीगढ़
च. उल्लेख न किए गए निवेश/नकद क्रेडिट	6	244.61	हरियाणा और महाराष्ट्र
कुल	51	8,606.78	

3.4.2 विशेष प्रावधानों के तहत निर्धारण नहीं की गई/अवनिर्धारण की गयी आय

हमने पाया कि निर्धारण अधिकारी ने चार राज्यों में ₹ 234.18 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े आठ मामलों में विशेष प्रावधानों के तहत आय का निर्धारण नहीं किया या आय का अवनिर्धारण किया। हमने ऐसा ही एक निदर्शी मामला नीचे दिया है:

अधिनियम की धारा 115जेबी में खाता लाभ की निर्धारित प्रतिशतता पर न्यूनतम वैकल्पिक दर (मैट) के उद्ग्रहण के लिए प्रावधान है यदि सामान्य प्रावधानों के तहत संगणित कुल आय पर देय आयकर मैट से कम है।

मामला । सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी - 3 राजकोट
निर्धारिती का नाम : मेसर्स 'ए' लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2015-16

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2017 में निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत कर उद्ग्रहीत किया था। हालांकि, खाता लाभ पर देय कर सामान्य प्रावधानों के तहत निर्धारित आय पर देय कर से अधिक था। खाता लाभ पर कर प्रभारित करने की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 2.97 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति जारी होने के बाद जून 2019 में धारा 154 के तहत त्रुटि सुधारी।* हालांकि, ₹ 2.97 करोड़ की मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

3.4.3 सामान्य प्रावधानों के तहत निर्धारण नहीं की गई/अवनिर्धारण की गयी आय
हमने देखा कि निर्धारण अधिकारी ने छह राज्यों में ₹ 1,069.86 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े 17 मामलों में सामान्य प्रावधानों के तहत या तो आय का निर्धारण नहीं किया या आय का अवनिर्धारण किया। हमने तीन निदर्शी मामले नीचे दिए हैं:

सीबीडीटी ने परिपत्र संख्या 10/2017 दिनांक 23 मार्च 2017 द्वारा स्पष्ट किया कि 1 अप्रैल 2016 को विदेशी मुद्रा लेनदेन आरक्षित निधि (एफसीटीआर) शेष, जो गैर एकीकृत परिचालनों के लिए मौद्रिक मदों पर विनिमय के अंतर से संबंधित है, को पूर्व में आय की संगणना में स्वीकार न की गयी सीमा तक निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए सुसंगत पूर्व वर्ष में स्वीकार किया जाएगा।

मामला । सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी 2, मुम्बई
निर्धारित का नाम : मेसर्स 'ए' बैंक
निर्धारण वर्ष : 2017-18

निर्धारण अधिकारी ने मार्च 2019 में निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए सीबीडीटी के उपरोक्त परिपत्र के अनुसार विदेशी मुद्रा लेनदेन आरक्षित निधि (एफसीटीआर) के तहत शेष को शामिल नहीं किया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 2238.55 करोड़ की कारोबार आय का अवनिर्धारण हुआ था जिसमें ₹ 774.72 करोड़ के कर (ब्याज को छोड़कर) का परिणामी कम उद्ग्रहण रहा। *विभाग ने त्रुटि को स्वीकार किया तथा अधिनियम की धारा 263 के तहत मार्च 2020 में सुधारा।* हालांकि, ₹ 774.72 करोड़ की मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

धारा 56(2) (viiबी) के अनुसार, जहां एक कंपनी, जो ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें जनता अधिक रुचि रखती है, एक निवासी होने के नाते किसी व्यक्ति से किसी पूर्व वर्ष में शेयरों के निर्गम के लिए कोई प्रतिफल प्राप्त करता है, जोकि ऐसे शेयरों के अंकित मूल्य से अधिक है, तो ऐसे शेयरों के लिए प्राप्त कुल प्रतिफल जो शेयरों के उचित बाजार मूल्य⁵⁰ से अधिक हो, वह अन्य स्रोतों से आय शीर्ष के तहत आयकर को प्रभार्य होगा।

50 नियम 11यू और 11यूप के अनुसार परिकल्पित

मामला II सीआईटी प्रभार : सीआईटी सेंट्रल, लुधियाना
निर्धारिती का नाम : मेसर्स 'बी' लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2014-15

निर्धारण अधिकारी ने नवंबर 2016 में निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए जारी किए गए 36,55,272 शेयरों के ₹ 32 प्रति शेयर के शेयर प्रीमियम के कारण कोई आय नहीं जोड़ी। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 11.70 करोड़ तक आय की कम संगणना हुई थी जिसमें ₹ 4.02 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। जनवरी 2019 में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की सूचना विभाग को दी गई थी। आयकर विभाग/मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2021)।

मामला III सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी 6, मुंबई
निर्धारिती का नाम : मेसर्स 'ई' लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2014-15 और 2015-16

निर्धारिती कंपनी ने विद्युत संयंत्र के परीक्षण के दौरान बिजली उत्पादन शुरू किया और इस उत्पादित विद्युत की आपूर्ति से वित्तीय वर्ष 2013-14 में ₹ 344.51 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2014-15 में ₹ 126.67 करोड़ का निवल राजस्व अर्जित किया। हालांकि, निर्धारण अधिकारी ने इस राजस्व को संबंधित निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती की आय के रूप में निर्धारण करने के बजाय चालू पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) से इस राजस्व को कम करने की निर्धारिती को अनुमति दी। संबंधित निर्धारण वर्ष की आय के रूप में विद्युत की आपूर्ति से अर्जित राजस्व का निर्धारण न करने के परिणामस्वरूप निर्धारण वर्ष 2014-15 में ₹ 344.51 करोड़ और निर्धारण वर्ष 2015-16 में ₹ 126.67 करोड़ की आय का कम निर्धारण किया गया था जो क्रमशः ₹ 117.09 करोड़ और ₹ 43.05 करोड़ के कर के परिणामी कम उद्ग्रहण के साथ है (कुल कम उद्ग्रहण ₹ 160.14 करोड़)। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (नवंबर 2019) को स्वीकार किया था और बताया कि उपयुक्त उपचारी कार्रवाई की जाएगी।* हालांकि उपचारी कार्रवाई पूरी होने की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

3.4.4 पूंजीगत अभिलाभ की गलत संगणना/वर्गीकरण

हमने चार राज्यों में ₹ 7007.42 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े पूंजीगत अभिलाभ के गलत संगणना/वर्गीकरण से संबंधित पांच मामलों को देखा। हमने ऐसा ही एक निदर्शी मामला नीचे दिया है:

धारा 50 में अवक्षयी परिसंपत्ति के हस्तांतरण पर पूंजीगत अभिलाभ की गणना की विधि निर्धारित की गई है। जहां परिसंपत्ति के हस्तांतरण पर प्राप्त प्रतिफल का पूरा मूल्य पिछले वर्ष की शुरुआत में परिसंपत्तियों के ब्लॉक के लिखित मूल्य से अधिक है; इस तरह की अधिकता को अल्पकालिक पूंजीगत परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाला पूंजीगत अभिलाभ माना जाएगा।

मामला । सीआईटी प्रभार : पीसीआईटी-4, बंगलोर
निर्धारिती का नाम : मेसर्स 'ए' लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2013-14

निर्धारण अधिकारी ने फरवरी 2017 में निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए निर्धारितियों की संगणना को स्वीकार किया और एक भवन के ₹ 18.66 करोड़ के बिक्री प्रतिफल से ₹ 22.32 करोड़ के अधिग्रहण की लागत को कम किया और ₹ 3.65 करोड़ की अल्पावधि पूंजीगत हानि का निर्धारण किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण वर्ष 2012-13 में परिसंपत्तियों के ब्लॉक का लिखित मूल्य (डब्ल्यूडीवी) शून्य था क्योंकि निर्धारिती ने इस पर मूल्यहास का दावा किया था। इस प्रकार, अधिग्रहण की लागत में कमी स्वीकार्य नहीं थी। इसके अलावा, निर्धारण वर्ष 2012-13 के दौरान परिसंपत्तियों के ब्लॉक में ₹ 2.11 करोड़ के मूल्य की परिसंपत्ति को शामिल किया गया था और किए गए वर्धन पर मूल्यहास अनुमत करने के बाद, परिसंपत्तियों के ब्लॉक का डब्ल्यूडीवी ₹ 1.90 करोड़ था। इस प्रकार, बिक्री प्रतिफल से परिसंपत्तियों के ब्लॉक के डब्ल्यूडीवी को कम करने के बाद, वास्तव में ₹ 3.65 करोड़ की पूंजीगत हानि के बजाय ₹ 16.76 करोड़ का अल्पकालिक पूंजीगत अभिलाभ हुआ। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 16.76 करोड़ के अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की कम संगणना हुई थी जिसमें ब्याज सहित ₹ 8 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। इसके अलावा ब्याज सहित ₹ 1.18 करोड़ के संभावित कर वाले ₹ 3.65 करोड़ की अल्पकालिक पूंजीगत हानि अनुमत की गयी। संचयी कर प्रभाव ब्याज सहित ₹ 9.18 करोड़ है। विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार की और मई 2019 में अधिनियम की धारा 263 के साथ पठित धारा 144 के अन्तर्गत इसमें सुधार किया। तथापि, मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

3.4.5 आर्म्स लेंथ प्राइस का गलत अनुमान लगाना

हमने दो राज्यों में ₹ 37.01 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े आर्म्स लेंथ प्राइस के गलत अनुमान लगाने से संबंधित नौ मामलों को देखा। हमने ऐसा ही एक निदर्शी मामला नीचे दिया है:

अधिनियम की धारा 92सी में प्रावधान है कि अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन के संबंध में आर्म्स लेंथ प्राइस को किसी भी पद्धति, जो सबसे उपयुक्त विधि है, द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जो लेन-देन की प्रकृति या लेन-देन की श्रेणी या संबद्ध व्यक्तियों के वर्ग या ऐसे व्यक्तियों या ऐसे अन्य प्रासंगिक कारकों द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में है जैसा कि बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाए।

मामला । सीआईटी प्रभार : सीआईटी टीपीओ-2, दिल्ली
निर्धारिती का नाम : मेसर्स 'ए' प्राइवेट लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2014-15 और 2015-16

ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर (टीपीओ) ने अक्टूबर 2017 और अक्टूबर 2018 में आर्म्स लेंथ प्राइस (एएलपी) का निर्धारण करते हुए कुल परिचालन आय में से उपरोक्त निर्धारण वर्षों के लिए क्रमशः ₹ 3.26 करोड़ और ₹ 19.35 करोड़ के विदेशी मुद्रा अभिलाभ को गैर-परिचालन आय होने के नाते बाहर नहीं किया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 22.61 करोड़ (₹ 3.26 करोड़ और ₹ 19.35 करोड़) द्वारा हस्तांतरण मूल्य निर्धारण का कम समायोजन किया गया था, जिसमें इन निर्धारण वर्षों के लिए ₹ 11.78 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण शामिल था। विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (जून 2020) को स्वीकार किया और दोनों निर्धारण वर्षों के लिए अगस्त 2019 में धारा 154 के तहत हुई त्रुटि को सुधारा। विभाग ने फरवरी 2020 में निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए अधिनियम की धारा 154 के तहत संशोधित टीपी समायोजन के आधार पर सुधार आदेश भी पारित किया।

3.4.6 टीडीएस/टीसीएस प्रावधानों के लागू करने में त्रुटियां

हमने पांच राज्यों में ₹ 13.70 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े छह मामलों में टीडीएस/टीसीएस प्रावधानों के लागू करने में त्रुटियां देखीं। हमने ऐसा ही एक निदर्शी मामला नीचे दिया है:

धारा 143(3) में प्रावधान है कि निर्धारण अधिकारी को निर्धारिती की कुल आय या हानि का सही निर्धारण करना होता है और कर या प्रतिदाय, जैसा भी मामला हो, की सही राशि का निर्धारण करना होता है। धारा 40(ए) (i) उन खर्चों की गणना करती है जिनमें वे पेशेवर प्रभार शामिल हैं जिनका कटौती के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है, यदि स्रोत पर कर की कटौती के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाता है।

मामला । सीआईटी प्रभार : पीसीआईटी-4, बंगलोर
निर्धारिती का नाम : मेसर्स 'ए' प्राइवेट लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2014-15

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2016 में निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए स्रोत पर कर की कटौती न करने के लिए ₹ 13.45 करोड़ के खर्च को अननुमत नहीं किया। निर्धारण अधिकारी ने टीडीएस के प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए पिछले वर्ष, (निर्धारण वर्ष 2013-14) में राशि के अननुमत होने के नाते ₹ 3.03 करोड़ की कटौती की आगे अनुमति दी। चूंकि इस वर्ष में भी ऐसे अननुमत करने के संबंध में कोई कर नहीं काटा गया था, इसलिए उक्त कटौती स्वीकार्य नहीं थी। इसके कारण ₹ 3.03 करोड़ की आय की और कम संगणना हुई। इन त्रुटियों के परिणामस्वरूप ₹ 16.48 करोड़ (₹ 13.45 करोड़ + ₹ 3.03 करोड़) की आय की कम संगणना हुई थी, जिसमें ब्याज सहित ₹ 6.60 करोड़ का कर कम लगाया गया था {₹ 4.63 करोड़ (सकारात्मक) और ₹ 1.97 करोड़ (संभावित)}। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और अगस्त 2018 में अधिनियम की धारा 154 के तहत त्रुटियों को सुधारा।* हालांकि मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

3.4.7 अस्पष्टीकृत निवेश/नकद क्रेडिट

हमने दो राज्यों में ₹ 244.61 करोड़ के कर प्रभाव वाले अस्पष्टीकृत निवेश/नकद क्रेडिट से संबंधित छह मामलों को देखा। हमने ऐसे तीन निदर्शी मामले नीचे दिए हैं:

अधिनियम की धारा 68 में यह प्रावधान है कि, यदि निर्धारिती द्वारा निर्धारिती की पुस्तकों में क्रेडिट की गई किसी भी राशि के स्वरूप और स्रोत के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया जाता है, तो इस प्रकार क्रेडिट की गई राशि को निर्धारिती की आय के रूप में आयकर को प्रभारित किया जा सकता है।

मामला । सीआईटी प्रभार : पीसीआईटी-6, मुंबई
निर्धारिती का नाम : मेसर्स 'डी' प्राइवेट लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2011-12

दिसंबर 2017 में निर्धारिती कंपनी का पुनः निर्धारण पूरा हुआ, जिसमें ₹ 112.52 करोड़ की आय का निर्धारण किया गया। पुनः निर्धारण आदेश में, निर्धारण वर्ष 2009-10 और 2011-12 से सुसंगत वित्तीय वर्षों के दौरान निर्धारिती कंपनी द्वारा प्राप्त ₹ 580.22 करोड़ के शेयर प्रीमियम में से, ₹ 112.52 करोड़ का शेयर प्रीमियम, जो निर्धारण वर्ष 2011-12 से सुसंगत वर्ष के दौरान प्राप्त हुआ था, को केवल उल्लेख न किए गए नकद क्रेडिट के रूप में शामिल किया गया था। हालांकि, निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए प्रासंगिक वर्ष के दौरान प्राप्त ₹ 467.70 करोड़ के शेयर प्रीमियम को वापस शामिल नहीं किया गया था, जबकि इसे उल्लेख न किया गया नकद क्रेडिट

भी माना गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 467.70 करोड़ की आय का कम निर्धारण के साथ ₹ 155.36 करोड़ के कर (ब्याज को छोड़कर) का परिणामी कम उद्ग्रहण हुआ। आयकर विभाग/मंत्रालय की ओर से उत्तर पिछले तीन साल से प्रतीक्षित था (मई 2021)।

मामला II सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी एलटीयू, मुंबई
निर्धारिती का नाम : मेसर्स 'ए' प्राइवेट लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2015-16

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2017 में निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए उल्लेख न किए गए नकद क्रेडिट के रूप में ₹ 6.45 करोड़ के दीर्घावधि उधार में से चालू वर्ष के ऋण से संबंधित केवल ₹ 1.43 करोड़ वापस जोड़ दिए गए। हालांकि, विभाग पहले के वर्षों से संबंधित ₹ 5.10 करोड़ के शेष उधार को जोड़ने में विफल रहा जबकि निर्धारिती द्वारा दीर्घकालिक उधार के लिए कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया था। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 5.10 करोड़ की आय का अवनियोजन हुआ जो ब्याज सहित ₹ 2.20 करोड़ के कर के परिणामी कम उद्ग्रहण के साथ था। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (अप्रैल 2018) और अधिनियम की धारा 147 के तहत कार्रवाई शुरू करने पर सहमति जताई।* हालांकि, उपचारी कार्रवाई पूरी होने की स्थिति अभी प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

मामला III सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी 9, मुंबई
निर्धारिती का नाम : मेसर्स 'जी' लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2010-11

दिसंबर 2017 में पुनः निर्धारण आदेश में निर्धारण अधिकारी ने ₹ 249.06 करोड़ की उल्लेख न की गयी जमा राशि पर जांच रिपोर्ट में प्राप्त जानकारी पर चर्चा की जिसके लिए निर्धारिती निर्धारण अधिकारी को संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत करने में विफल रहा। इसलिए, अधिनियम की धारा 68 के तहत ₹ 249.06 करोड़ की उल्लेख न की गयी जमा राशि को आय के रूप में आंका जाना चाहिए था। हालांकि, निर्धारण अधिकारी उल्लेख न की गयी जमा का निर्धारण और कर लगाने में विफल रहा। ऐसा न करने पर ₹ 249.06 करोड़ की आय का कम निर्धारण किया गया जो ₹ 84.65 करोड़ के कर के परिणामी कम उद्ग्रहण के साथ था। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (मार्च 2021) और बताया कि धारा 263 (फरवरी 2019) के तहत उपचारी कार्रवाई शुरू की जा रही थी।* हालांकि उपचारी कार्रवाई पूरी होने की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

3.5 कर/ब्याज का अधिक प्रभार

3.5.1 हमने देखा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में ₹ 112.16 करोड़ के कर और ब्याज के अधिप्रभार से जुड़े 14 मामलों में निर्धारण अधिकारी ने आय का अधिक निर्धारण किया। हमने ऐसे तीन निदर्शी मामले नीचे दिए हैं:

मामला I सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी 3, मुंबई
निर्धारिती का नाम : मेसर्स 'ए' लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2012-13

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2018 में आय का पुनः निर्धारण करते हुए पिछले आदेश अर्थात् अप्रैल 2018 में सीआईटी (अपील) आदेश को प्रभावी बनाने के आदेश में निर्धारित ₹ 478.15 करोड़ की हानि के बजाय ₹ 225.08 करोड़ पर हानि को अपनाते हुए संगणना शुरू की। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 253.06 करोड़ की हानि का अवनिर्धारण हुआ था जिसमें ₹ 82.11 करोड़ के कर का संभावित अधिक उद्ग्रहण शामिल था। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को नवंबर 2019 में जारी किया गया था। आयकर विभाग/मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2021)।

मामला II सीआईटी प्रभार : पीसीआईटी, कोच्चि-1
निर्धारिती का नाम : मेसर्स 'बी' प्राइवेट लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2012-13

निर्धारण अधिकारी ने नवंबर 2017 के संशोधित आदेश के अनुसार कर की मांग की संगणना करते हुए ₹ 2.31 करोड़ की सही राशि के बजाय ₹ 4.36 करोड़ के ब्याज का उद्ग्रहण किया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 2.05 करोड़ तक ब्याज का अधिप्रभार हुआ। *विभाग ने सूचित किया (फरवरी 2020) कि जनवरी 2020 में अधिनियम की धारा 154 के तहत गलती सुधारी गई थी।*

मामला III सीआईटी प्रभार : पीसीआईटी, कटक
निर्धारिती का नाम : मेसर्स 'सी' लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2012-13

निर्धारण अधिकारी ने, जनवरी 2018 में कर देयता की संगणना करते समय ₹ 4.17 करोड़ की सही राशि के स्थान पर ₹ 8.10 करोड़ का ब्याज उद्ग्रहित किया। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 3.93 करोड़ का अधिक ब्याज उद्ग्रहण हुआ। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (दिसम्बर 2019) तथा जून 2019 में अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत त्रुटि का सुधार किया।*

हालांकि, विभाग ने आगे बताया कि कर तथा ब्याज की संगणना आईटीबीए मॉड्यूल के माध्यम से की गई थी और निर्धारण अधिकारी का, अधिनियम की धारा 234सी के अन्तर्गत प्रभाय ब्याज को संशोधित करने के सिवाए निर्धारिती द्वारा देय कर की संगणना पर कोई नियंत्रण नहीं था। इसलिए, डीजीआईटी (प्रणाली) इस संबंध में तथ्यात्मक स्थिति को प्रेषित करने के लिए उपयुक्त प्राधिकरण है।

2019 में विधिवत संशोधित सीबीडीटी की लेखापरीक्षा नियम पुस्तिका के अनुसार, आय कर व्यवसायिक अनुप्रयोग (आईटीबीए) को शुरू कर दिया गया है तथा निर्धारण तथा अन्य सहायक कार्यों को आईटीबीए प्लेट फार्म पर किया जाना अपेक्षित है। आईटीबीए की शुरुआत के साथ, कार्य प्रवाह की प्रणाली पर पर्यवेक्षण प्राधिकरण द्वारा निगरानी की जाएगी और क्षेत्रीय संरचनाओं में प्रत्येक स्तर जवाबदेही स्थापित करेगा। इसलिए विभाग, प्रणाली के माध्यम से की गई संगणना में ऐसी त्रुटियों के लिए कारणों की जाँच कर सकता है और ऐसी अनियमितताओं की रोकथाम और संगणना की सटीकता को सुनिश्चित करते समय ऐसी त्रुटियों के प्रति पर्याप्त जाँच तथा सुरक्षा प्रदान करता है।

